



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]
No. 132]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2005/भाद्र 28, 1927
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2005/BHADRA 28, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सं. 310-3(1)/2003-इको.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी)(i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (चालीसवां संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 7) कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. 8 सितम्बर, 2005 के दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवां संशोधन) के अनुसूची X में मद सं. (1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख के सामने टैरिफ शीर्ष के अन्तर्गत दी गई मौजूदा प्रविष्टि "16-9-2005" के स्थान पर "अलग से अधिसूचित किए जाने की तारीख से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सामान्य :

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संदेह होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध-क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार,

एम. कन्नन, सलाहकार (आर्थिक)

[विज्ञापन III/IV/असा./142/05]

अनुबंध-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवां संशोधन) अधिसूचित किया था। मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस आदेश को अपील सं. 10/2005 के अंतर्गत 12 सितम्बर, 2005 को माननीय दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय अधिकरण (टीडीसेट) में चुनौती दी है।

2. इस अपील की 14 सितम्बर, 2005 को टीडीसेट में सुनवाई हुई। अधिकरण ने अपने 14-9-2005 के आदेश में कहा कि यह प्रतिवादित अधिसूचना तब तक के लिए आस्थगित रखी जाए जब तक अधिकरण द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं दे दिया जाता है और इसी कारण यह आदेश जारी किया जा रहा है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2005

No. 310-3(1)/2003-Eco.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of the Section 11 read with Section 11(1)(b)(i) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India, hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely :—

1. Short title, extent and commencement :

(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Fortieth Amendment) Order, 2005" (7 of 2005).

(ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Telecommunication Tariff (Thirty Ninth Amendment) Order dated 8th September, 2005, in Schedule X against item (1) Date of implementation, the words "from a date to be notified separately" shall substitute the existing figures "16-9-2005" under the heading Tariff.

General

In case of any doubt with regard to the interpretation of any provision of this Order, the decision of the Authority shall be final.

This order contains at Annexure—A, an Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

M. KANNAN, Advisor (Economic)

[ADVT III/TV Exty./142/05]

Annexure A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Authority had notified the Telecommunication Tariff (39th Amendment) Order on 8th September, 2005. M/s. Videsh Sanchar Nigam Limited has challenged this Tariff Order in Hon'ble Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) on 12th September, 2005 *vide* Appeal No. 10/2005.

2. The said appeal come up for hearing before the TDSAT on 14th September, 2005. The tribunal *vide* its Order dated 14-9-2005 ordered that the impugned notification be kept in abeyance till a decision in the case is given by the Tribunal, and hence, this order.